166 बोर्ड से निचले पदों के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतनमानों में 1.1.1992 से संशोधन

लोक उद्यमों में औद्योगिक महंगाई भत्ते का अनुसरण कर रहे बोर्ड स्तर के नीचे के पदों पर पदस्थ कार्यपालकों और असंबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतनमान अंतिम बार तारीख 1.1.87 से तारीख 04.04.90 के लो.उ.वि. के समसंख्यक अर्धशासकीय पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुसार संशोधित किए गए थे।

2. सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि उक्त दो श्रेणियों के वेतनमान 1.1.92 से संशोधित माने जाएंगे।

3. इसके अलावा यह निर्णय भी लिया गया है कि अनुबंध–1 में दिए गए विवरण के अनुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाएं तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनकी आवश्यकतानुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्तर पर वेतनमान अपनाने का लचीलापन दिया गया है। फिटमेंट पद्धति अनुबंध–II में दर्शाए गए अनुसार होगी।

4. तारीख 1.1.92 को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1099 पर संशोधित वेतनमान में बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर पदस्थ अधिकारियों को स्वीकार्य औद्योगिक महंगाई भत्ता ''शून्य'' होगा क्योंकि 1.1.92 को औद्योगिक महंगाई भत्ते के बतौर परिकलित की गई 787.75 रू. की राशि संशोधित मूल वेतन में विलयित कर दी गई है। बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर पदस्थ अधिकारियों को 1.4.92 से देय महंगाई भत्ता योजना के अनुसार होगा। इस योजना का ब्यौरा अनुबंध–III में दिया गया है।

5(i) तारीख 3.3.92 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(8)/91 डी पी ई (डब्ल्यू सी) के पैरा 4 के उप पैरा (ii) और (v) में किराए की रसीद न देने पर मकान किराया भत्ते के भुगतान की निर्धारित की गई उच्चतम सीमा तथा पट्टे पर लिए गए आवास की उच्चतम सीमा, अनुबंध–IV में दिए गए ब्यौरे के अनुसार तारीख 1.4.94 से संशोधित मानी जाएगी। कुरसी क्षेत्र की उच्चतम सीमा यथावत् रहेगी।

(ii) सरकारी उद्यमों द्वारा मुहैया कराए जाने वाले सुसज्जित तथा सज्जारहित आवास के किराए की वसूली तारीख 3.3.92 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(8)/91 – डी पी ई (डब्ल्यू सी) के पैरा 4 के क्रमशः उप पैरा (x) और (xii) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार की जाएगी। संशोधित वेतन पर किराया वसूली 1.4.94 से परिकलित की जाएगी।

तारीख 1.1.92 तथा 31.3.94 के बीच की अवधि के लिए मकान किराया भत्ते, पट्टे पर लिए गए आवास तथा किराए की वसूली पूर्व संशोधित मूल वेतन के आधार पर परिकलित और अदा की जाएगी।

6. चिकित्सा कार्यपालकों को प्रैक्टिसबंदी भत्ता (एन पी ए) 1.1.92 से संशोधित माना जाएगा। ब्यौरा अनुबंध–I में दिया गया है।

7. नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुबंध–IV में दी गई समग्र उच्चतम सीमाओं के अंतर्गत मौजूद दरों पर किया जाएगा।

8. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 को तारीख 24.5.94 से संशोधित किया गया है और अब सभी कर्मचारी भले ही वे कितना भी वेतन क्यों न लेते हों, उपदान संदाय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। अतः 24.5.94 से उपदान का भुगतान, समय पर संशोधित उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विनियंत्रित किया जाएगा। तारीख 1.1.92 और 24.5.94 के बीच की अवधि के लिए उपदान को उत्तरवर्ती संशोधनों के साथ पठित तारीख 23.6.88 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(29)/75 डी पी ई (डब्ल्यू सी) द्वारा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विनियंत्रित किया जाएगा।

9. सभी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा भविष्य निधि में "नियोक्ता" का अंशदान 01.1.92 से संशोधित वेतन ढांचे पर मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता जमा वैयक्तिक वेतन (जहां स्वीकार्य हो) 8.33 प्रतिशत या 10 प्रतिशत की दर पर यथावत् जारी रहेगा।

10. सवारी प्रतिपूर्ति, यात्रा सब्सिडी, कैंटीन सब्सिडी, उत्तर–पूर्वी भत्ता, भूमिगत भत्ता, परियोजना भत्ता आदि की दरों जैसी अन्य ऊपरी आय को 1.4.94 को समाप्त कर दिया जाएगा और 1.4.94 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एक पक्षीय आधार पर अनुमत किए गए उदारीकरणों को वापस लेना होगा।

11. बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर पदस्थ अधिकारियों और असंबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन का संशोधन, तारीख 12.4.93 और 17.1.94 के डी पी ई के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(3)/86 डी पी ई (डब्ल्यू सी) में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत

अनुमत होगा। ये शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि उत्पादन की प्रति भौतिक इकाई श्रमिक लागत में कोई वृद्धि न की जाए। संबंधित देयता से निपटने के लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कोई बजटीय सहायता मुहैया नहीं कराएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम एकाधिकार या लगभग एकाधिकार में हैं या निर्देशित मूल्य ढाँचा रखते हैं, उनके संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि वेतन मजदूरी में वृद्धि से उनकी वस्तुओं और सेवाओं के निर्देशित मूल्य में स्वतः वृद्धि न हो। वेतन वृद्धि के लिए अपेक्षित संसाधन उनके अपने आंतरिक उत्पादन से ही जुटाए जाएं।

12. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नए वेतनमानों और औद्योगिक महंगाई भत्ता पद्धति के अनुमोदन और इन्हें अपनाने की प्रक्रिया अनुबंध–V में दिए गए ब्यौरे के अनुसार होगी। अनुबंध–V में उल्लिखित प्रक्रिया का निष्ठा से अनुपालन किया जाए।

13. बी आई एफ आर के साथ पंजीकृत रूग्ण सरकारी क्षेत्र उद्यमों के लिए, वेतन संशोधन तथा अन्य लाभ देना केवल तभी अनुमत्य होगा यदि इकाई को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया जाता है। वेतन संशोधन आदि के लाभ आई आई एस सी ओ को दिए जाए तथा इसकी वित्तीय देयता की पूर्ति सेल (स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया से की जाए)।

14. असंबद्ध पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों के संशोधित वेतनमान 1.1.92 से 5 वर्ष की अवधि तक वैध होंगे।

15. सरकारी उपक्रमों को दी गई सूचना की एक प्रति डी.पी.ई. को पृष्ठांकित की जाए।

(कार्यालय ज्ञापन संख्या 5(50)/86 डी पी ई (डब्ल्यू सी) दिनांक 19 जुलाई 1995)

अनुबंध–1

बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर आसीन कार्यपालकों (एग्जीक्यूटिव) के संशोधित वेतनमानों के लिए दिशा–निर्देश

	दिनांक 1.1.1987 से प्रभावी	दिनांक 1.1.92 से प्रभावी दिशा–निर्देश
ई0	2100-90-2550-100-3450 2100-90-2550-100-3550 2100-100-3600 2100-90-2550-100-3650 2100-100-3700 2150-90-2690-100-3390 2150-100-3850 2200-100-3600 2200-100-3800 2200-90-2650-100-3850 2250-100-4150 2300-90-2750-100-3750 2350-100-4150	3500-150-6200
ई–1	2400-110-3940 2400-100-3000-120-3960 2400-100-3000-120-4080 2400-120-4320 2450-120-4370	4000-175-7150

	2500-120-4300 2500-120-4540 2500-120-4650 2650-120-4450-130-5100 2800-120-3450-130-4830	
ई–2	3000-120-3720-140-4560 3000-130-4560 3100-130-3750-140-5150 3200-120-5120 3450-140-4770-150-5470	4800-200-5800-250-8275
ई–3	3700-140-4540-150-5480 3700-140-4400-150-5900 3850-140-4550-150-6050 4000-150-5950	5400-225-6300-250-9050
ई–4	4150-150-4800-160-6340 4300-150-5050-160-5850 4400-150-5450-155-6225 4400-150-6350 4500-165-5140-175-6365 4600-150-5350-160-6790	6500-250-7500-275-9425
ई–5	4900-160-5700-175-6400 5000-160-5800-175-6850 5000-170-6870 5100-175-6850 5100-160-5900-175-6950 5200-160-6000-175-6875	7000-275-8100-300-9600
ई–6	5500-175-7075 5550-165-6870 5600-175-7175	7500-300-9900

	5650-175-7225 5750-175-7325 5800-175-7200	
ई–7	क. 6250-175-7475 ख. 6500-175-7725	क. 8250-300-10050 ख. 8500-300-10300
ई–8	7250-200-8250	9500-400-11500
ई–9	8250-200-9250	11500-400-13500

असंगठित पर्यवेक्षकों के लिए 1.1.1992 से प्रभावी संशोधित वेतनमानों के लिए दिशानिर्देश

	दिनांक 1.1.1987 से प्रभावी	दिनांक 1.1.92 से प्रभावी दिशा–निर्देश
एस–1	1700-70-2260-80-2580 1700-80-2260-90-3070 1750-60-2170-65-2690 1750-65-2075-75-3125	2800-90-3450-100-4930
एस–2	1875-60-1995-70-2905 1875-70-2365-75-2965 1875-70-2015-80-2975- 90-3155 1900-75-2275-85-2870 1950-70-2300-80-2700- 90-3420	3000-105-3735-110-5055
एस–3	2000-80-3280 2000-90-3450 2050-80-2450-90-3170- 95-3550 2075-70-2215-80-3255 2075-80-2635-85-3315 2075-80-2235-90-3315- 100-3615	3200-110-3970-120-5290
एस–4	2250-85-2930-90-3740 2300-80-2700-100-3700	3375-120-4335-140-5735

पाद टिप्पणीः कार्यपालक और असंबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए वेतनमान

ई–9 वेतनमान सार्वजनिक क्षेत्र के केवल उसी उद्यम द्वारा अपनाया जा सकता है जो अनुसूची "क" में है तथा कंपनी में बोर्ड स्तर के अन्य पद अनुसूची ''ख'' की कोई कंपनी इस वेतनमान को अपनाने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

ई–8 वेतनमान सार्वजनिक क्षेत्र के उस उद्यम द्वारा अपनाए जा सकते हैं जो कि अनुसूची ''क'' और ''ख'' में है यदि अनुसूची ''ग'' का कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है किंतु उसमें बोर्ड स्तर का कोई पद नहीं है तो यह अपने कार्यपालक निदेशकों, वरिष्ठ महाप्रबंधकों/मुख्य महाप्रबंधकों के लिए ई–8 में दिया गया वेतनमान अपना सकता है।

"क" "ख" "ग" और "घ" अनुसूची के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ई–7 में प्रस्तावित संशोधित वेतनमानों को अपनाने पर कोई रोक नहीं है।

असंबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतनमान जो आई डी ए पद्धति पर आधारित हैं, उपर्युक्तानुसार 1.1.92 से संशोधित माने जाएंगे।

यदि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्यम के पास असंगठित पर्यवेक्षकों के लिए केवल तीन वेतनमान हैं, तो उनके लिए जैसाकि पूर्ववर्ती तालिका में इंगित किया गया है तीन प्रतिस्थापन वेतनमान अपनाना अनुमेय है।

ये वेतनमान इस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा संघबद्ध पर्यवेक्षकों के संबंध में भी अपनाए जा सकते हैं बशर्ते कि वे इन उद्यमों के प्रबंधन के साथ ऐसा पृथक संवर्ग तैयार करने के लिए सहमत हों जिसमें संघबद्ध कर्मचारी न हों तब वे मान्यता प्राप्त संघों के साथ प्रबंधन द्वारा हस्ताक्षरित मजदूरी समझौते के अनुसार संघीकृत कर्मचारियों को स्वीकार्य लाभों के पात्र नहीं होंगे।

व्यवसाय निषेध भत्ता (एन पी ए)

चिकित्सा कार्यपालकों के लिए व्यवसाय निषेध भत्ते की दरें 1.1.92 से निम्नानुसार संशोधित मानी जाएंगीः–

मूल वेतन सीमा (मौजूदा)	विद्यमान अर्हता	मूल वेतन रेंज (प्रस्तावित)	प्रस्तावित अर्हता
3500 रू. तक	600 रू.	5000 रू. तक	1000 रू.
3505–4300 रू.	850 रू.	5001–6500 रू.	1250 रू.
4301–6500 रू.	950 रू.	6501–9500 रू.	1330 रू.
6501 रू. तथा इससे अधिक	1000 रू.	9501 रू. तथा इससे अधिक	1500 रू.

व्यवसाय निषेध भत्ता महंगाई भत्ते के प्रयोजनार्थ वेतन के बतौर माना जाएगा। किंतु संशोधित वेतनमान में वेतन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उपदान तथा सी पी एफ से नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले अंशदान को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

***

अनुबंध–II

फिटमेंट पद्धति

फिटमेंट पद्धति इस प्रकार होगी

संशोधित वेतनमान से मूल वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(क) 1.1.92 को मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन जमा।

(ख) ए आई सी पी आई 1099 पर 1.1.92 के अनुसार वास्तविक महंगाई भत्ता।

(ग) वेतन संशोधन के कारण बनने वाली फिटमेंट राशि 31.12.91 को मौजूदा वेतनमान में वेतनमान के 20 प्रतिशत तक होगी। (फिटमेंट चिकित्सा कार्यपालकों को देय एन पी ए पर परिकलित नहीं किया जाए)।

(घ) वैयक्तिक वेतन/वैयक्तिक भत्ता/वैयक्तिक महंगाई भत्ता जहां भी मौजूदा मूल वेतन के साथ देय है।

संशोधित वेतनमान में निर्धारित कुल वेतन पर, जहां योग संशोधित वेतनमान के किसी चरण में फिट नहीं बैठता वहां वेतन अगले उच्चतर चरण पर निर्धारित किया जाएगा।

यदि कुछ मामलों में उपर्युक्त (क) से (घ) का योग संशोधित वेतनमान के अधिकतम से अधिक बैठता है या जहां कहीं भी संशोधित वेतनमान के अनुसार निर्धारित मूल वेतन दिनांक 1.1.1992 की स्थिति के अनुसार किसी कार्यपालक/असंगठित पर्यवेक्षक को तीन वेतनवृद्धियों की अनुमति नहीं देता तो ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यपालक या असंगठित पर्यवेक्षक का वेतन, वेतनमान के अधिकतम से तीन चरण नीचे निर्धारित किया जाना चाहिए और शेष राशि को वैयक्तिक वेतन (पीपी) माना जाना चाहिए। अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति अर्थात इस प्रयोजनार्थ केवल उसके मूल वेतन को ही हिसाब में लिया जाएगा। वैयक्तिक वेतन को योग में अग्रनीत करने की अनुमति होगी और इसे अगले वेतन संशोधन में समायोजित किया जाएगा। इस संबंध में डी पी ई द्वारा पी एस ई को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

***

अनुबंध–III

सार्वजनिक क्षेत्र महंगाई भत्ता योजना

मुख्य विशेषताएं:

(क) 1960=100 (ए आई सी पी आई पर आधारित औद्योगिक श्रमिकों (साधारण) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को महंगाई की प्रतिपूर्ति करने के लिए किया जाता है।

(ख) महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष में चार बार अर्थात् पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर को जारी की जाएगी।

(ग) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1099 के तिमाही सूचकांक औसत से अधिक की वृद्धि के लिए महंगाई भत्ता अदा किया जाएगा जिससे संशोधित वेतनमान संबंधित है।

(घ) फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर को समाप्त अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1099 के सूचकांक से अधिक की प्रतिशत वृद्धि को एक दशमलव बिंदु तक लिया जाएगा।

(ड.) सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को, 1099 के सूचकांक औसत पर मूल वेतन पर दी जाने वाली प्रतिपूर्ति दर संपूर्ण अंकों में है और इसके भागों को अग्रनीत किया जाता है।

(च) भिन्न वेतन श्रेणियों में कर्मचारियों के प्रतिशत का निष्प्रभावीकरण इस प्रकार होगा:–

वेतन श्रेणियां – मूल वेतन	निष्प्रभवीकरण प्रतिशत	
3500 रू. तक	100*	
3501 रू. से 6500 रू.	75	मामूली समायोजन के अनुसार
6501 रू. से 9500 रू.	60	
9501 रू. तथा अधिक	50	

* दिनांक 1.1.92 से 1099 के बाद अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में न्यूनतम 2 रू. प्रति बिंदु विचलन के अनुसार।

पाद टिप्पणी–I

तिमाही औसतों को निम्नलिखित तरीके से परिकलित किया जाएगा

तिमाही औसत	से देय
सितंबर, अक्टूबर तथा नवंबर	पहली जनवरी
दिसंबर, जनवरी और फरवरी	पहली अप्रैल
मार्च, अप्रैल और मई	पहली जुलाई
जून, जुलाई और अगस्त	पहली अक्टूबर

पाद टिप्पणी–II

सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 1991 माह के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1099 रूपए निकला और 1.1.92 से स्वीकार्य दरों पर आई डी ए योजना के अंतर्गत स्वीकार्य महंगाई भत्ता मूल वेतन में विलयित कर दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए विकसित नए फार्मूले के अंतर्गत स्वीकार्य महंगाई भत्ता 1.1.92 को शून्य होगा महंगाई भत्ते की पहली किश्त 1.4.92 से देय होगी।

उदाहरण दर्शाने वाला विवरण–प्रतिशत महंगाई भत्ता योजना के अंतर्गत निकाली जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि

	3500 रू. प्रति माह तक का मूल वेतन	3500 रू. प्रति माह से अधिक और 6500 रू. प्रतिमाह तक का मूल वेतन	6500 रू. प्रति माह से अधिक और 9500 रू. प्रतिमाह तक का मूल वेतन	9500 रू. प्रति माह से अधिक मूल वेतन
प्रतिशत निष्प्रभावीकरण	100	75	60	50
तिमाही गणितीय औसत	1099	1099	1099	1099
फरवरी 1992 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.4.92 से देय (1121 प्वाइंट)	वेतन का 2 प्रतिशत 44 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 1.5 प्रतिशत 70 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 1.2 प्रतिशत 98 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 1 प्रतिशत 114 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
मई, 1992 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.7.92 से देय (1141 प्वाइंट)	वेतन का 3.8 प्रतिशत 84 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 2.8 प्रतिशत 134 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 4.6 प्रतिशत 371 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 1.9 प्रतिशत 218 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
अगस्त, 1992 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.10.92 से देय (1183 प्वाइंट)	वेतन का 7.6 प्रतिशत 168 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 5.7 प्रतिशत 266 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 4.6 प्रतिशत 182 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 3.8 प्रतिशत 437 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
मई, 1992 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य	वेतन का 9.4 प्रतिशत 206 रू.	वेतन का 7 प्रतिशत 329 रू.	वेतन का 5.6 प्रतिशत 455 रू.	वेतन का 4.7 प्रतिशत 532 रू.

सूचकांक का तिमाही औसत 1. 1.93 से देय (1202 प्वाइंट)	न्यूनतम के अध्ययधीन	न्यूनतम के अध्ययधीन	न्यूनतम के अध्ययधीन	न्यूनतम के अध्ययधीन
मई, 1993 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1. 4.93 से देय (1193 प्वाइंट)	वेतन का 8.5 प्रतिशत 188 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 6.4 प्रतिशत 298 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 5.1 प्रतिशत 416 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 2 प्रतिशत 485 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
मई, 1993 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1. 7.93 से देय (1207 प्वाइंट)	वेतन का 9.8 प्रतिशत 216 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 7.3 प्रतिशत 343 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 5.9 प्रतिशत 475 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 4.9 प्रतिशत 561 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
अगस्त, 1993 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.10.93 से देय (1248 प्वाइंट)	वेतन का 13.5 प्रतिशत 298 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 10.1 प्रतिशत 473 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 8.1 प्रतिशत 657 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 6.7 प्रतिशत 770 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
नवम्बर, 1993 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.1.94 से देय (1292 प्वाइंट)	वेतन का 17.6 प्रतिशत 386 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 13.2 प्रतिशत 616 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 10.6 प्रतिशत 858 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 8.8 प्रतिशत 1007 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
फरवरी, 1994 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.4.94 से देय (1302 प्वाइंट)	वेतन का 18.5 प्रतिशत 406 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 13.9 प्रतिशत 648 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 11.1 प्रतिशत 904 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 9.2 प्रतिशत 1055 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
मई, 1994 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1. 7.94 से देय (1328 प्वाइंट)	वेतन का 20.8 प्रतिशत 458 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 15.6 प्रतिशत 728 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 12.5 प्रतिशत 1014 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 10.4 प्रतिशत 1188 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
अगस्त, 1994 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.10.94 से देय (1384 प्वाइंट)	वेतन का 25.9 प्रतिशत 570 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 19.4 प्रतिशत 907 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 15.5 प्रतिशत 1261 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 12.9 प्रतिशत 1473 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
नवम्बर, 1994 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.1.95 से देय (1427 प्वाइंट)	वेतन का 29.8 प्रतिशत 656 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 22.3 प्रतिशत 1043 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 17.9 प्रतिशत 1450 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 14.9 प्रतिशत 1701 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
फरवरी, 1995 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.4.95 से देय (1429 प्वाइंट)	वेतन का 30 प्रतिशत 660 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 22.5 प्रतिशत 1050 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 18 प्रतिशत 1463 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 15 प्रतिशत 1710 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन

अनुबंध–IV

केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के कर्मचारियों को म.कि. भ. भुगतान और मुख्य कार्यपालक कार्यकारी निदेशक एवं अन्य उच्चाधिकारियों के लिए पट्टे पर आवास लेना एवं अन्य किराए की वसूली आदि।

तारीख 3.2.1992 को सचिवों की समिति ने अपनी बैठक में निम्नलिखित दरों पर म.कि.भ. के भुगतान को जारी रखने के डी पी ई के प्रस्ताव को अनुमोदित किया :

दिल्ली	मूल वेतन का 30 प्रतिशत
अन्य ''क'' श्रेणी के शहर	मूल वेतन का 25 प्रतिशत
ख–1, ख–2 श्रेणी के शहर	मूल वेतन का 15 प्रतिशत
ग, श्रेणी एवं अन्य अवर्गीकृत क्षेत्र	मूल वेतन का 10 प्रतिशत

तथापि उपर्युक्त दरों में म.कि.भ. का भुगतान इस परंतुक के अंतर्गत होगा कि इस तरह के कर्मचारी/कार्यपालक मकान किराया भत्ते के लिए अपने मूल वेतन से 10 प्रतिशत अदा करेंगे। भुगतान दखल किए गए मकान के लिए अपने मकान मालिक से किराए की रसीद प्रस्तुत करने/नगर निगम द्वारा जारी किए गए मूल्यांकन प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा, उपर्युक्त निर्दिष्ट की गई हर अधिकतम सीमा में होगी। यदि कुछ लोक उद्यम मान्यता प्राप्त यूनियन के कर्मचारी और गैर यूनियन के पर्यवेक्षक निर्वाह वेतन निर्धारण के साथ समझौते के अंतर्गत उन दरों पर म.कि.भ. का भुगतान करने के लिए सहमत होते हों जो उपर्युक्त मानदंडों की अपेक्षा अधिक अथवा कम हो तो उनके मामले पर मान्यताप्राप्त यूनियन के कर्मचारी वर्ग और गैर यूनियन के कर्मचारी वर्ग के साथ किए गए वेतन निर्धारण/समझौते की मान्यता अवधि के दौरान पुनःविचार करने की आवश्यकता नहीं हो तथापि जैसा कि ऊपर बताया गया है, म.कि.भ. के भुगतान की अधिकतम सीमा में संपूर्ण वेतन/वेतन पैकेज के अनुसार कार्यपालकों के अन्य सभी वेतन निर्धारण/वेतन संशोधन को भी शामिल किया जाना चाहिए। यदि संशोधित मानदंडों के आधार पर निकाले गए म.कि.भ. की राशि के परिणाम स्वरूप संबंधित कर्मचारी को कम भुगतान हो तो मौजूदा वेतन भुगतान अधिकारियों के वेतन संशोधन समझौते के अनुसार किसी कार्यपालक अथवा किसी कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाले म.कि.भ. की राशि अलग–अलग कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत तौर पर संरक्षित की जा सकती है।

किराए की रसीद प्रस्तुत किए बिना मकान किराया भत्ता किराए की रसीद प्रस्तुत किए बिना मकान किराया भत्ता कार्यपालकों और असंबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए मकान किराए की रसीद प्रस्तुत किए बिना, म.कि.भ. के भुगतान की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित आई डी ए पैटर्न को 1.4.1994 से निम्न प्रकार संशोधित किया जाएगा।

क्र.सं.	शहर	आई डी ए प्रस्तावित रू.	पी एस ई रू. मौजूदा	सी डी ए पी एस ई रू. मौजूदा
1	दिल्ली मुंबई	1500	1000	1250
2	अन्य ''क'' श्रेणी के शहर	1500	1000	1000
3	''ख'' और ''ख–2'' श्रेणी के शहर	1500	1000	680
4	''ग'' श्रेणी के शहर	750	500	340
5	अवर्गीकृत क्षेत्र	450	300	310

उन कर्मचारियों के लिए किराए की रसीद प्रस्तुत किए बिना आई डी ए भुगतान की अधिकतम सीमा में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी जो डी ए पैटर्न में बने रहते हैं।

पट्टे की आवास की अधिकतम सीमा

सरकारी उद्यम विभाग के ता. 3.3.92 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा (iv) एवं (v) में दर्शाए गए पट्टे पर आवास के लिए संशोधन पूर्व वेतनमानों के आधार पर दी गई वित्त संबंधी सीमाओं को निम्नलिखित सारणी में दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में बोर्ड के स्तर से नीचे के शीर्ष अधिकारियों के लिए पट्टे पर आवास की संशोधित अधिकतम सीमा में निम्नलिखित आई डी ए पैटर्न वेतनमान लागू होगा।

वेतनमान रेंज	कुरसी क्षेत्र	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता	अहमदाबाद, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद एवं अन्य ''ए'' श्रेणी के शहर	''ख–1'' ''ख–II'', ''ग'' श्रेणी के शहर एवं अन्य क्षेत्र
रू.	वर्ग फुट	रू.	रू.	रू.
11500–13500	1500	5400	4700	3400
9500–11500	1200	4600	4100	2900
8500–10300	1200	4100	3600	2600
7500–9900	1200	4000	3500	2500

नगर प्रतिकर भत्ता

शहरों का वर्गीकरण	**''क'' श्रेणी के शहर**	**ख–I शहर**	**ख– II शहर**
शहर दर पर नगर प्रतिकर भत्ता देय है	अधिकतम 100/–रू. के अंतर्गत मूल वेतन का 6 प्रतिशत	अधिकतम 75/–रू. के अंतर्गत मूल वेतन का 45 प्रतिशत	अधिकतम 20/–रू. के अंतर्गत मूल वेतन का 3.5 प्रतिशत

अनुबंध–V

सरकारी उद्यमों द्वारा आई डी ए पैटर्न के अंतर्गत नए वेतनमानों के अनुमोदन और स्वीकृति की प्रक्रिया

लाभ अर्जित करने वाले सरकारी उद्यम, घाटे वाले सरकारी उद्यम और बी आई एफ आर के समक्ष सरकारी उद्यम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के उपबंध के अंतर्गत लोक उद्यमों को सरकार के रूप में माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने हाल के कुछ वर्षों में एक लोक उद्यम के वेतनमान से दूसरे लोक उद्यम के वेतनमान में समानता लाने अथवा विसंगतियों को दूर करने का निर्देश दिया है। इसलिए किसी प्रकार के विवाद को दूर करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया है कि शीर्ष पदों के अधिकारी, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंबद्ध पर्यवेक्षकों का वेतनमान सभी लोक उद्यमों में एक समान होगा चाहे वे लाभ कमाने वाले उद्यम हों या घाटे वाले उद्यम हों। इसके विपरीत कामगार, कार्यपालक और सरकार के प्रति लोक उद्यमों के स्वामी के तौर पर बोर्ड के सदस्यों की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। अतः कम से कम वाले लोक उद्यमों और बी आई एफ आर के समक्ष लोक उद्यमों और किसी प्रकार के विचलन के मामलों में इनकी हकदारी के बारे में सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित पद्धति अपनाई जाएगीः–

(क) लोक उद्यम जो लगातार 3 वर्षों अर्थात 1991–92, 1992–93 और 1993–94 से लाभ कमा रहे हों: इन उद्यमों के बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंबद्ध पर्यवेक्षकों को अनुबंध–I में दिए गए वेतनमान लागू करने की अनुमति होगी।

(ख) वे लोक उद्यम जिनसे पिछले 3 वर्षों में किसी प्रकार का लाभ न हो रहा होः– वे लोक उद्यम जो पिछले 3 वर्षों से अर्थात् 1991–92, 1992–93 एवं 1993–94 से लगातार घाटे में रहे हैं अथवा इन वित्तीय वर्षों में किसी भी एक वर्ष में इन्हें निवल घाटा हुआ हो, इन्हें भी बोर्ड के स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर यूनियन वाले पर्यवेक्षकों के

लिए इन वेतनमानों को स्वीकार करने की अनुमति दी जाएगी और यह अनुमति सरकार अर्थात संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग से परामर्श करके दी जाएगी बशर्ते कि वे इस प्रकार आंकलन प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा ऐसे कौन से संशोधन तैयार किए जाएंगे जिससे कि वे इस प्रकार के अतिरिक्त खर्च को पूरा करेंगे।

(ग) रूग्ण लोक उद्यम – रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 को संशोधित किया गया है और लोक उद्यमों को इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है। लगभग 50 लोक उद्यमों को बी आई एफ आर में पंजीकृत किया गया है। नए विकास को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि उन बी आई एफ आर के समक्ष प्रस्तुत किए गए लोक उद्यमों को तब तक अपने बोर्ड स्तर के कार्यपालकों, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंबद्ध वाले पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित नए वेतनमान का लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि बी आई एफ आर का कोई निर्णय न मिले। जहाँ बी आई एफ आर ने लोक उद्यम को बंद करने का आदेश दिया है वहां अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मुआवजे का शीघ्र भुगतान करने एवं लोक उद्यमों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। जहां बी आई एफ आर द्वारा लोक उद्यमों के पुनरूद्धार योजना को अनुमोदित कर दिया गया है वहां बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालक के पद पर कार्य करने वाले बोर्ड स्तर के कार्यपालकों और गैर यूनियन वाले पर्यवेक्षकों को संशोधित वेतनमान स्वीकार करने के प्रस्ताव 1.1.92 से नए महंगाई भत्ते का फार्मूला इन लोक उद्यमों द्वारा लोक उद्यम विभाग के परामर्श से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा बशर्ते कि वे अपने वेतन बिल का विश्लेषण प्रदान करें और अतिरिक्त व्यय भार को पूरा करने के संशोधनों को जुटाने के मापदंडों के बारे में भी बताएं।

(घ) निर्माणाधीन लोक उद्यम अथवा नए लोक उद्यमः– आठ लोक उद्यम निर्माणाधीन हैं कुछ लोक उद्यमों का सृजन मौजूदा स्थापना अर्थात् पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के विलय द्वारा हुआ है। इस तरह के लोक उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की संभावित तारीख देते हुए लोक उद्यम विभाग के परामर्श से अपने प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदनार्थ और बोर्ड स्तर के कार्यपालकों एवं बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों–गैर यूनियन वाले पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित वेतनमान एवं डीए के पैटर्न को स्वीकृति के लिए अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहिए।

(ड.) जहां मामला न्यायाधीन है – तारीख 3.5.90 और 28.8.91 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अब तक सी डी ए पैटिर्न लागू होने वाले 69 लोक उद्यमों के तारीख 1.1.89 अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों/कार्यपालकों को आई डी ए पैटर्न एवं सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान में रखा गया है। अन्य दूसरे कुछ लोक उद्यमों में कार्यपालक एसोसिएशनों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर पुनर्विचार के लिए और एच पी सी सी के अनुसार वेतनमान और डी.ए. पैटर्न पर वेतन आहरण की अनुमति प्रदान करने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया है। संशोधित वेतनमान और डी.ए. का नया फार्मूला भी जिसमें जिसे अन्य सभी लोक उद्यमों द्वारा अधिसूचित किया गया है, इनके द्वारा अपनी इच्छानुसार विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। यह वेतनमान और डी.ए. का पैटर्न डी.टी.सी. पर लागू नहीं होगा क्योंकि इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेशानुसार सरकारी वेतनमान और डी.ए. पैटर्न में बनाए रखा गया है।

(च) लोक उद्यम के तारीख 12.4.93 एवं 17.1.94 के का.ज्ञा. में मान्यता प्राप्त यूनियन के कामगारों के साथ वेतन–वार्ता के लिए निर्धारित शर्तें उपर्युक्त वेतन संशोधन में पूरी की जानी चाहिए।

(छ) टिप्पणी में विचार किए जाने वाले मामलों के संबंध में जहां कहीं आवश्यक होगा लोक उद्यम विभाग विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

(डीपीई का0 ज्ञा0 सं0 2(50)/86 डीपीई (डब्ल्यू सी) दिनांक 19 जुलाई, 1995)